Form No III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बमुकाम मेड़ता

बाकुदेवी बनाम हेमाराम

मुकदमा राजस्व वाद ..... नम्बर 200 सनं 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिषियल्स	हुक्म नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.8.2019	वकीलवादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88.53.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18.9.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता	
	18.9.19 वकील वादी उपस्थित। 1,4,5 के सम्मन तामिल हुए। प्रतिवादी सगान्य उपस्थित। सुनवाई की तिथि आगे लगाई जाती है। प्रतिवादीगण के अन्तर्गत तामिल प्रकाशित होने पर जारी कर दिनांक 19.11.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)	
	निवेदन 18.11.2019 वकील वादी श्री चेमाराम गुगरवाल 18.11.2019 को अर्जी पत्रावली आमपेश। 88 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादिनी बाकुदेवी के पक्ष में शीतला छोड़ने के बाद जरिए विड्रॉल खारिज करने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी। अर्जी पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा वादिनी जरिए विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (के.आर. चौहान) उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.29 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested